संख्या-454/2025/179 के-2/22-3-2024-17(146)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 16 सितम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बाबूराम पुत्र श्री बैजनाथ, निवासी जनपद-बदायूँ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-35583/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-30.11.2023) दिनांक-11.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बाबूराम पुत्र श्री बैजनाथ, जो जमालपुर, थाना-हजरतपुर, जनपद-बदायूँ का निवासी है। जमीनी मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 30.03.1977 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व तमंचों से गोली मारकर राधेश्याम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-13/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, बदायूँ के आदेश दिनांक 06.03.1980 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 09.03.1995 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। उक्त के अतिरिक्त पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 21.06.1993 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठियों से मारकर जरजोधन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण सं0-378/1993 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 (पी.ए.), एक्ट, बदायूँ के आदेश दिनांक 24.09.2001 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, शातिर किस्म का अपराधी होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीनी मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 30.03.1977 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व तमन्चों से गोली मारकर राधेश्याम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं द्वितीय वाद में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 21.06.1993 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठियों से मारकर जरजोधन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा 02 अलग-अलग वादों में 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बाबूराम पुत्र श्री बैजनाथ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बाबूराम (बंदी संख्या-35938) पुत्र श्री बैजनाथ, निवासी जनपद-बदायूँ को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-454/2025/179 के-2/22-3-2024-17(146)/2024

दिनांक 16 सितम्बर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बाबूराम पुत्र श्री बैजनाथ, जो जमालपुर, थाना-हजरतपुर, जनपद-बदायूँ का निवासी है। जमीनी मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 30.03.1977 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व तमंचों से गोली मारकर राधेश्याम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-13/1979 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, बदायूँ के आदेश दिनांक 06.03.1980 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 09.03.1995 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। उक्त के अतिरिक्त पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 21.06.1993 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठियों से मारकर जरजोधन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण सं0-378/1993 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 (पी.ए.), एक्ट, बदायूँ के आदेश दिनांक 24.09.2001 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, शातिर किस्म का अपराधी होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि जमीनी मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 30.03.1977 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व तमन्चों से गोली मारकर राधेश्याम नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं द्वितीय वाद में पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 21.06.1993 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठियों से मारकर जरजोधन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा 02 अलग-अलग वादों में 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बाबूराम पुत्र श्री बैजनाथ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in